**भारत सरकार**
**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 3086**
**उत्तर देने की तारीख : 07.08.2025**

**एमएसएमई योजनाओं का प्रभाव**

**3086. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:**
**श्री संजय उत्तमराव देशमुख:**
**श्री अरविंद गणपत सावंत:**
**श्रीमती भारती पारधी:**
**श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एमएसएमई क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार सृजन और कुल निर्यात में योगदान का नवीनतम आकलन क्या है;

(ख) उक्त क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों और इन योगदानों का तुलनात्मक विश्लेषण क्या है और इसलिए इस क्षेत्र को और बढ़ाने हेतु विशेषकर पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि योजना जैसी एमएसएमई योजनाओं का देश, विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ग्रामीण, अर्ध-शहरी, औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों पर रोजगार सृजन और उद्यमिता के संबंध में क्या विशिष्ट प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और हाशिए पर पड़े अन्य समूहों के लिए सृजित रोजगार के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**
**(सुश्री शोभा करांदलाजे)**

(क) और (ख) : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में एमएसएमई की हिस्सेदारी 31.1% थी और वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान अखिल भारत निर्यात में एमएसएमई निर्यात की हिस्सेदारी 45.73% थी।

एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु संशोधित मानदंडों के साथ, उद्यम पंजीकरण पोर्टल दिनांक 01.07.2020 को शुरु किया गया। दिनांक 04.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार, उद्यम पंजीकरण पोर्टल (उद्यम असिस्ट प्लेटफ़ॉर्म सहित) पर दिनांक 01.07.2020 से 31.07.2025 तक पूरे भारत में 28.73 करोड़ रोज़गार दर्ज किए गए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के परिवर्तन को बढ़ावा देने और उनके विस्तार का समर्थन करने के लिए, भारत सरकार ने बजट घोषणा 2025 में एमएसएमई की संशोधित परिभाषा की घोषणा की और सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) से (ङ) : एमएसएमई मंत्रालय, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का क्रियान्वयन कर रहा है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश भर में गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में भावी उद्यमियों की सहायता करके मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करती है।

पीएमईजीपी सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी प्रदान करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएँ, पूर्व सैनिक, विकलांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों, तथा आकांक्षी जिलों जैसे विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों का स्वयं का अंशदान 05% और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए यह अंशदान 10% है।

वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-26 (29.07.2025 तक) के दौरान, पीएमईजीपी के तहत महाराष्ट्र (दमन और दीव सहित) में सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और अनुमानित रोजगार सृजन क्रमशः 13,211 और 1,05,688 है।

वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-26 (29.07.2025 तक) के दौरान, पीएमईजीपी के तहत मध्य प्रदेश में सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और अनुमानित रोजगार सृजन क्रमशः 22,794 और 1,82,352 है।

दिनांक 01.07.2020 से 31.07.2025 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म सहित) पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं द्वारा पंजीकृत राज्यवार एमएसएमई और कुल रोजगार का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (स्फूर्ति) दिनांक 30.09.2022 तक जारी रही। स्फूर्ति के अंतर्गत, देश भर में कुल 513 क्लस्टरों से 3 लाख पारंपरिक कारीगर लाभान्वित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल 29 स्फूर्ति क्लस्टर हैं, जिनमें 2 क्लस्टर आकांक्षी ज़िलों में हैं। मध्य प्रदेश में 45 स्फूर्ति क्लस्टर हैं, जिनमें से 5 आकांक्षी ज़िलों में हैं।

******

**अनुबंध-I**

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3086, जिसका उत्तर दिनांक 07.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध I**

| उद्यम और यूएपी के तहत शुरुआत से लेकर दिनांक 31/07/2025 तक पंजीकृत राज्यवार एमएसएमई | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **राज्य** | **अनुसूचित जाति** | **अनुसूचित जनजाति** | **अन्य पिछड़ा वर्ग** | **कुल** | **महिलाएं** | **रिपोर्ट किए गए रोजगार** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 3,92,953 | 70,888 | 13,56,195 | 33,99,310 | 19,09,223 | 1,76,84,577 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 596 | 29,729 | 1,584 | 39,560 | 17,730 | 2,20,401 |
| 3 | असम | 1,06,369 | 1,10,570 | 2,64,505 | 11,99,893 | 4,24,977 | 73,40,594 |
| 4 | बिहार | 3,28,876 | 71,403 | 17,83,562 | 36,15,372 | 17,18,768 | 1,34,75,537 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 1,13,444 | 1,07,912 | 4,57,183 | 11,51,194 | 4,96,031 | 37,65,172 |
| 6 | गोवा | 2,366 | 4,864 | 15,645 | 1,14,063 | 43,675 | 4,36,554 |
| 7 | गुजरात | 2,17,369 | 1,70,392 | 9,43,553 | 37,79,615 | 10,38,175 | 1,48,98,156 |
| 8 | हरियाणा | 2,50,452 | 9,753 | 3,90,067 | 17,05,948 | 4,70,616 | 82,00,805 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 54,724 | 12,407 | 25,130 | 2,96,806 | 66,693 | 13,02,526 |
| 10 | झारखंड | 97,531 | 81,705 | 5,20,173 | 13,31,866 | 6,26,060 | 50,80,302 |
| 11 | कर्नाटक | 4,75,950 | 1,86,758 | 15,20,528 | 43,92,344 | 19,64,978 | 2,33,64,642 |
| 12 | केरल | 74,256 | 7,771 | 6,65,618 | 16,00,640 | 7,59,005 | 54,25,533 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 5,46,908 | 2,77,306 | 19,34,566 | 41,75,978 | 15,15,629 | 1,26,13,093 |
| 14 | महाराष्ट्र | 8,07,450 | 2,24,679 | 19,39,521 | 87,00,197 | 30,67,364 | 2,94,62,353 |
| 15 | मणिपुर | 8,892 | 21,959 | 32,692 | 1,49,337 | 82,766 | 7,32,218 |
| 16 | मेघालय | 1,026 | 40,862 | 928 | 54,839 | 27,275 | 2,63,919 |
| 17 | मिजोरम | 252 | 42,165 | 90 | 45,357 | 26,740 | 2,12,660 |
| 18 | नागालैंड | 802 | 48,497 | 1,201 | 61,440 | 31,905 | 2,61,012 |
| 19 | ओडिशा | 2,55,664 | 1,13,486 | 5,81,836 | 20,68,281 | 9,14,238 | 96,70,995 |
| 20 | पंजाब | 3,46,807 | 5,578 | 1,73,344 | 18,53,785 | 5,72,349 | 84,55,836 |
| 21 | राजस्थान | 4,70,526 | 2,17,438 | 17,90,091 | 37,88,987 | 9,37,035 | 1,61,32,356 |
| 22 | सिक्किम | 1,922 | 7,802 | 8,362 | 29,339 | 14,854 | 1,19,090 |
| 23 | तमिलनाडु | 3,64,248 | 23,723 | 14,65,754 | 53,44,057 | 23,54,170 | 2,78,56,442 |
| 24 | तेलंगाना | 2,84,721 | 1,41,497 | 10,29,493 | 26,06,573 | 11,83,265 | 1,58,85,812 |
| 25 | त्रिपुरा | 58,281 | 40,044 | 54,036 | 2,73,358 | 1,77,097 | 10,62,837 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 9,35,833 | 61,342 | 31,86,159 | 71,58,218 | 22,73,255 | 2,97,60,201 |
| 27 | उत्तराखंड | 61,170 | 9,408 | 1,26,102 | 5,46,659 | 1,67,868 | 23,95,232 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 5,56,184 | 51,501 | 2,71,607 | 46,01,676 | 27,49,253 | 1,90,12,978 |